

1.6.18

पत्रावली डा.प.कॉम्प कोर्ट हांसलसर में पेश हुई।
वादीगण एवं प्रतिवादीगण स्वयं उपस्थित। उभयपक्षों
को सुना गया। उपस्थित उभयपक्षों ने कथन किया
कि उपर्युक्त वाद पत्र की धारा - 3 में वर्णित भूमि का
सीमाज्ञान करवा कर पत्थर गड़ी करवाई गई। प्रकरण
में सीमाज्ञान का ठा देखा हो रहा है। उभयपक्षों के
उक्त कथन ठानुकार वाद पत्र स्वार्थ विधे धारा का
कोई अर्थिक्त नहीं रह गया है। वाद पत्र स्वार्थि
किया जा रहा है। उभयपक्ष नियमानुसार सीमाज्ञान
करवावे। पत्रावली कोर्ट ल शुभर होकर नम्बर से कम
हो लका दारिजिल हपलर हो।

उपखण्ड अधिकारी
उपन्यायी (उपखण्ड)